—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 130/2019

उनवान

1. सुजा पुत्र देवा,
2. बीरम पुत्र देवा,
3. प्रतापी पत्नी पांचू,
4. भंवरलाल,
5. भागचन्द पुत्र पांचू,
6. गुमानी पत्नी रूघनाथ,
7. गांधी पुत्री रूघनाथ,
8. सांवरलाल,
9. सुमित्रा,
10. मंजू,
11. बलराम,
12. जीवराज पुत्र रूघनाथ, जाति गुर्जर नि. श्रीनगर, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

1. कल्यााण पुत्र नन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित, 2 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— १४.८.२५

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीनगर में स्थित वंर्किग खसरा नम्बर 5208 रकबा 3—4—0 में से 16—0—0 आराजी वादी संख्या 1 व 2 तथा शेष के पूर्वजों ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.12.2000 को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण पुत्र सुवा को बैचान की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण दिनांक 05.09.2001 से की गयी। आराजी मुतनाजा [illegible] खसरा नम्बर 5664 रकबा 0.39 व 5646/8793 रकबा 0.13 सम्पूर्ण [illegible] के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया, [illegible] द्वारा आराजी मुतनाजा में से 0—16—0 रकबा ही कय किया था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुत[illegible] त्रुटिपूर्ण

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

इन्द्राज के कारण प्रतिवादी आराजी मुतननाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः शेष आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गश्या। प्रतिवादी स. 1 बावजूद तामीली प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी सुजा का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम श्रीनगर के वंर्किग खसरा नम्बर 5208 रकबा 3–4–0 में से 16–0–0 आराजी वादी संख्या 1 व 2 तथा शेष के पूर्वजों ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.12.2000 को प्रतिवादी संख्या 1 कल्याण पुत्र सुवा को बैचान की थी। उक्त विक्रय पत्र की पालना राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 103 बी दिनांक 05.09.2001 को की गयी। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 5664 रकबा 0.39 व 5646/8793 रकबा 0.13 सम्पूर्ण कों त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा में से 0–16–0 रकबा ही क्रय किया था। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 5208 रकबा 3–4–0 तत्कालीन खातेदार रूघनाथ, पांचू, संग्राम, सूजा व बीरम पि. देवा की खातेदारी में दर्ज था। उक्त खातेदार में से रूघनाथ, पांचू, सूजा व बीरम पि. देवा ने वंर्किग खसरा नम्बर 5208 रकबा 3–4–0 में से 0–16–0 भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 को किया था। विक्रेता द्वारा बिना विभाजन विशिष्ट भू भाग का बैचान किया गया है। सह खातेदारी की आराजी पर बिना विभाजन हिस्से का विक्रय ही किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 3–4–0 में से 0–16–0 भूमि ही क्रय की थी। जो कि 1/4 हिस्सा बनाता है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का 1/4 हिस्सा ही क्रेता/ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होना चाहिये था। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन ननही किया है। तत्करलीन खातेदार सुजा व बीरम पि. देवा वादी संख्या 1 व 2 है। वादी संख्या 3 से 5 पांचू पि. देवा के, वादी संख्या 6 से 12 रूघनाथ पि. देवा के वारिस है। तत्कालीनन आराजी के खातेदार संग्राम पि. देवा अथवा उसके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। संग्राम पि. देवा के बारे में वाद पत्र में कोई तथ्य भी अंकित नही किया है। अतः वादीगण के साथ संग्राम पि. देवा भी आराजी मुतनाजा पर हिस्से अनुसार खातेदारी प्रापत करने का अध्किारी है। वाद पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। भूमि का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता हैं

अतः ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 5664 रकबा 0.39 व 5646/8793 रकबा 0.13 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण व संग्राम पि. देवा को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सुजा बनाम कल्याण

दावा बाबत :— 88, 188. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज. अधि. 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर — 130/2019
पेश करने की दिनांक — 07.11.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक राजेश सुकरिया मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 5664 रकबा 0.39 व 5646/8793 रकबा 0.13 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण व संग्राम पि. देवा गुर्जर को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 2 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:03 IST
Reason: SelfAttested